संख्या- 46/2023/2347-77-6-23-6099/93/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू.1200.00 करोड़ के सापेक्ष रू.135.82 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (वित्त), यीडा के पत्र संख्या-वाई.ई.ए/वित्त/351/2023, दिनांक 23-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत यीडा द्वारा मांगी गई धनराशि रू.1200.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू.135.82 करोड़ (रू. एक अरब पैंतीस करोड़ बयासी लाख मात्र) को अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुदान संख्या-007 के अंतर्गत लेखा शीर्ष-4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य उद्योग 800- अन्य व्यय 0401-पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू.1200.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू.135.82 करोड़ (रू. एक अरब पैंतीस करोड़ बयासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि को आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा को रू.135.82 करोड़ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कानपुर के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाएगा।
6. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि के व्यय का लेखा-जोखा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा द्वारा रखा जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,35,82,00,000 (रूपये एक अरब पैंतीस करोड़ बयासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या**-007 **लेखा शीर्ष**-4875608000401-पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर **मानक मद** 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-71-X-2023-24, दिनांक 22.08.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार मौर्य

उप सचिव।

संख्या- 46/2023/2347(1)-77-6-23-6099/93/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. महाप्रबन्धक (वित्त), यीडा के पत्र संख्या-वाई.ई.ए/ वित्त/351/2023, दिनांक 23-06-2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. निदेशक, वितीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-1/4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।